10

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेड़लीरेल बनाम रामखिलाड़ी S/o हरेती जाटव ग्रा हलावता

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 01/2018/RA निर्णय दिनांक :- 26-3-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हलावता की आ.ख.न. 1076 0-95 कुल रकबा 0-95 किस्म जमीन गै०मु० रास्ता में से 300 वर्गफुट रकबे पर श्री रामखिलाड़ी S/o हरेती जाटव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेड़लीरेल द्वारा दिनांक 10/4/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तार्ईद भू.अ.निरी. खेड़लीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामखिलाड़ी S/o हरेती जाति जाटव निवासी ग्रा हलावता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी रामखिलाड़ी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1076 रकबा 0-95 में से 300 वर्गफुट रकबे किस्म गै०मु० रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.103 paise को 50 गुणा 2/- TWO Rs. रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी समूची भू.अ.निरी. खेड़लीरेल को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- पृ. इ..